

uploded
10/10/2013

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/17192-96

दिनांक:-10अक्टूबर 2013

कार्यालय आदेश

दिनांक 4.10.2013 से आचार संहिता लागू हो जाने के कारण राज्य सरकार से अग्रिम निर्देश प्राप्त होने तक श्री श्याम मनोहर काखानी लेखाकार (लिंक नम्बर 5654) कार्यालय जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) चित्तोडगढ़ को आदेशों की प्रतीक्षा में लिया जाकर मुख्यालय कोषालय चित्तोडगढ़ में किया जाता है ।

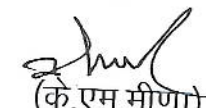

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/17192-96

कोष एवं लेखा विभाग
दिनांक:-10अक्टूबर 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ चित्तोडगढ़
2. कोषाधिकारी चित्तोडगढ़
3. उपकोषाधिकारी भदेसर जिला चित्तोडगढ़
4. श्री श्याम मनोहर काखानी लेखाकार जरिये उपकोषालय भदेसर जिला चित्तोडगढ़ को पालनार्थ
5. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
6. व्यक्तिगत पंजिका।
7. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।
8. कम्प्यूटर शारदा


(क.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)